(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 617–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–1–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, प्रकरण कमांक 630/अपील/2012–13.

.....

श्रीमती अनिताबाई पति श्री शिवकरण
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद
जिला इंदौर

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–श्रीमती रेशमबाई पति स्व0अम्बाराम,
निवासी 223/2, कर्मानगर कुशवाह नगर इंदौर
2–कमल पिता स्व0 अम्बाराम
निवासी 223/2, कर्मानगर कुशवाह नगर इंदौर
3–श्यामूबाई पिता स्व0अम्बाराम
निवासी 223/2, कर्मानगर कुशवाह नगर इंदौर
4–देवजी पिता स्व0चम्पालाल मृतक तर्फे वारिसान
अ–रमेश पिता स्व0देवजी
निवासी गणेश धाम कॉलोनी बाणगंगा थाने के सामने, इंदौर
ब–किशोर पिता स्व0देवजी
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
स–राजेश पिता स्व0देवजी
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
द–प्रभु पिता स्व.देवजी
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर

इ–राजुबाई पिता स्व0देवजी
निवासी ग्राम बामनखेड़ी तहसील सांवेर जिला इंदौर
उ–रेखा उर्फ गुड्डी पिता स्व0देवजी
निवासी इंदिरा नगर पंचकुईया के पास इंदौर
5–रणछोड़ पिता स्व0चम्पालाल मृतक तर्फे वारिसान
अ–जानीबाई पति स्व0रणछोड़
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
ब–प्रकाश पिता स्व0रणछोड़
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
स–रतनलाल पिता स्व0रणछोड़
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
द–मुकेश पिता स्व0रणछोड़
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
इ–रामसिंह पिता स्व0रणछोड़
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
उ–बाबूलाल पिता स्व0रणछोड़
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
क–कैलाशबाई पिता स्व0रणछोड़
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
ख–सुगनबाई पिता स्व0रणछोड़
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर
6–हुकुमसिंह पिता स्व0कैलाशसिंह
निवासी ग्राम जिंदाखेड़ा तहसील हातोद इंदौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसीलदार तहसील हातोद जिला इंदौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जिंदाखेड़ा तत्कालीन तहसील सांवेर जिला इंदौर स्थित भूमि खाता कमांक 125 रकबा 1.810 हेक्टेयर भूमि अनावेदिका कमांक 1 के पति स्व0अम्बाराम व अनावेदक कमांक 2 व 3 के पिता स्व0अम्बाराम के नाम से संयुक्त खाते में दर्ज थी । स्व0अम्बाराम की मृत्यु उपरांत उनका नाम विलोपित कर दिया गया है । उक्त जानकारी अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को वर्ष 2001–02 में कृषि भूमि के खाते की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त जानकारी हुई । अतः प्रश्नाधीन भूमियों में अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नाम संयुक्त रूप से अंकित किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–1–2013 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–6–2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–1–2015 को आदेश पारित द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 6 के पिता कैलाशसिंह

को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा साक्ष्य में आये दस्तावेजों का गंभीरता से अवलोकन नहीं किया गया है, क्योंकि अभिलेख से स्पष्ट है कि सर्वे कमांक 205/1 रकबा 0.336 आरे भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 6 के पिता स्व0कैलाश सिंह द्वारा कय की गई है और उनका नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय में उन्हें बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित करने में विधि एवं न्याय की भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 115 व 116 के प्रावधानों को समझने में भूल की गई है क्योंकि संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत तहसीलदार को स्वमेव अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत पक्षकार द्वारा एक वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार को अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा 4 वर्ष पश्चात् संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नाम प्रश्नाधीन भूमि में दर्ज करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि पूर्व में भी अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नाम कभी भी अंकित नहीं रहा है । इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के पूर्व से सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रश्नाधीन भूमि से स्वर्गीय अम्बाराम का नाम विलोपित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर